अष्टादश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या–16 मंगलवार, दिनांक–24 फरवरी, 2026 ई०।

माननीय अध्यक्ष डॉ० प्रेम कुमार की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न से 01:00 बजे अपराह्न तक।

सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होते ही माननीय सदस्य, श्री कुमार सर्वजीत के द्वारा चौकीदारों/दफादारों के प्रदर्शन से संदर्भित मामले को उठाया गया। इसको लेकर विपक्ष के माननीय सदस्यगण शोरगुल करते हुए वेल में आ गए।

माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा कहा गया कि चौकीदारों/दफादारों के सेवा शर्त्तों के संबंध में सरकार द्वारा पूर्व में जो निर्णय लिया गया है, वह ऐतिहासिक है। अगर उनकी कोई मांग है, तो सरकार उनसे बात करेगी। इस संदर्भ में माननीय मंत्री, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव एवं माननीय सदस्य, श्री राजू तिवारी द्वारा अपना–अपना पक्ष रखा गया।

तत्पश्चात् सदन में शांति कायम हुई।

[1] प्रश्नकाल :–

i. 06 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित।
ii. 13 अल्पसूचित प्रश्न अनागत।
iii. 15 तारांकित प्रश्न उत्तरित।
iv. 01 तारांकित प्रश्न अपृष्ठ।
v. 211 तारांकित प्रश्न अनागत।

[2] कार्यस्थगन प्रस्ताव :–

माननीय सदस्य, श्री रणविजय साहू, श्री संदीप सौरभ, श्रीमती सावित्री देवी, श्री अभिषेक रंजन एवं श्री अमरेन्द्र कुमार तथा श्री अखतरूल ईमान, श्री मो० मुर्शिद आलम, श्री मो० सरवर आलम एवं श्री गुलाम सरवर द्वारा दिया गया कार्य स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा इसे अमान्य किये जाने की घोषणा की गयी।

आसन की अनुमति प्राप्त कर माननीय सदस्य, श्री रणविजय साहू एवं श्री अखतरूल ईमान द्वारा अपना–अपना कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना को पढ़ा गया।

[3] शून्यकाल :–

शून्यकाल की सूचना के अंतर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया:–

(1) श्री राहुल कुमार (2) श्री मंजीत कुमार सिंह

(3)	श्री कृष्णनन्दन पासवान	(4)	श्री शंकर प्रसाद
(5)	श्रीमती बिनिता मेहता	(6)	श्री कुंदन कुमार
(7)	श्रीमती निशा सिंह	(8)	श्री दामोदर रावत
(9)	प्रो० नागेन्द्र राउत	(10)	श्री मिथिलेश तिवारी
(11)	श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह	(12)	श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव
(13)	श्री जनक सिंह	(14)	श्री पप्पु कुमार वर्मा
(15)	श्रीमत श्वेता गुप्ता	(16)	श्री अमरेन्द्र कुमार
(17)	श्री बीरेन्द्र कुमार	(18)	श्री मुरारी प्रसाद गौतम
(19)	श्री कुमार शैलेन्द्र	(20)	श्री विमल राजवंशी
(21)	श्री सुरेन्द्र प्रसाद	(22)	श्री अरूण सिंह
(23)	श्रीमती अनीता	(24)	श्री राजू तिवारी
(25)	श्री भरत बिन्द	(26)	श्री तारकिशोर प्रसाद
(27)	श्री संजय कुमार सिंह	(28)	श्री सियाराम सिंह
(29)	श्री रितुराज कुमार	(30)	श्री रंजन कुमार
(31)	श्री राणा रणधीर	(32)	श्री अभिषेक रंजन
(33)	श्री प्रमोद कुमार सिंह	(34)	श्री अरूण मांझी
(35)	श्री गुलाम सरवर	(36)	श्रीमती छोटी कुमारी
(37)	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह	(38)	श्री राज कुमार राय
(39)	श्री सरवर आलम	(40)	श्री आनन्द मिश्र
(41)	श्री मो० मुर्शिद आलम	(42)	श्रीमती शालिनी मिश्रा
(43)	श्री नागेन्द्र चन्द्रवंशी	(44)	श्री राधाचरण साह
(45)	श्री बशिष्ठ सिंह	(46)	श्री बाबुलाल शौर्य
(47)	श्री अविनाश मंगलम	(48)	श्री रणविजय साहू
(49)	श्रीमती देवंती यादव	(50)	श्री राकेश रंजन
(51)	श्री अजय कुमार	(52)	श्री संदीप सौरभ
(53)	श्री आसिफ अहमद	(54)	श्री प्रमोद कुमार
(55)	श्री सतीश कुमार सिंह यादव	(56)	श्रीमती मनोरमा देवी
(57)	श्री विनय बिहारी	(58)	श्री रजनीश कुमार
(59)	श्री राम सिंह	(60)	श्री अरूण कुमार

आसन द्वारा घोषणा की गई कि आज के लिए स्वीकृत शेष शून्यकाल की सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना जाता है तथा इसके लिखित उत्तर के लिए इसे संबंधित विभाग को भेज दिया जाय।

[4] ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :–

(i) माननीय सदस्य, श्री विजय कुमार खेमका का डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग से संबंधित तथा दिनांक 20.02.2026 से स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य, श्री कुमार शैलेन्द्र द्वारा पढ़ा गया तथा इसका उत्तर माननीय मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, श्री सुरेन्द्र मेहता द्वारा दिया गया।

(ii) माननीय सदस्य, श्री महेश्वर हजारी, श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह एवं अन्य आठ सभासदों का श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग से पुनः उद्योग विभाग में स्थानांतरित तथा दिनांक 23.02.2026 से स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना के उत्तर के लिए माननीय प्रभारी मंत्री, उद्योग विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा समय की मांग की गयी।

(iii) माननीय सदस्य, श्री नीतीश मिश्रा, श्री मंजीत कुमार सिंह एवं श्री प्रमोद कुमार का पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य, श्री नीतीश मिश्रा द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, डॉ० प्रमोद कुमार द्वारा इसके उत्तर के लिए समय की मांग की गयी।

(iv) माननीय सदस्य, श्री मिथिलेश तिवारी, श्री भरत बिन्द एवं अन्य सात सभासदों का सहकारिता विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य, श्री मिथिलेश तिवारी द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय प्रभारी मंत्री, सहकारिता विभाग, श्री प्रमोद कुमार द्वारा इसका उत्तर दिया गया।

तत्पश्चात् सभा की बैठक भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई।

भोजनावकाश के बाद

(02:00 बजे अपराह्न से 02:25 बजे अपराह्न तक)

[इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

[5] वित्तीय कार्य :–

(i) **"बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026"**

माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित किया गया और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

आसन द्वारा माननीय सदस्य, श्री अखतरूल ईमान से विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु नाम पुकारा गया, परन्तु माननीय सदस्य द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत नही किया गया।

माननीय सदस्य, श्री राहुल कुमार द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

विधेयक पर विचार की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त **"बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026"** सदन से स्वीकृत हुआ।

(ii) **"बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026"**

माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित किया गया और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

आसन द्वारा माननीय सदस्य, श्री अखतरूल ईमान से विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु नाम पुकारा गया, परन्तु माननीय सदस्य द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

माननीय सदस्य, श्री राहुल कुमार द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

विधेयक पर विचार की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त **"बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026"** सदन से स्वीकृत हुआ।

(iii) **"बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026"**

माननीय प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित किया गया और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य, श्री राहुल कुमार द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

विधेयक पर विचार की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में माननीय सदस्य, श्री अखतरूल ईमान का खंड–2 एवं 3 में संशोधन का प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त **"बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026"** सर्वसम्मति से सदन से स्वीकृत हुआ।

(iv) **"बिहार सिविल न्यायालय विधेयक, 2026"**

माननीय प्रभारी मंत्री, विधि विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित किया गया और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

आसन द्वारा माननीय सदस्य, श्री अखतरूल ईमान से विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु नाम पुकारा गया, परन्तु माननीय सदस्य द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

माननीय सदस्य, श्री राहुल कुमार द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

विधेयक पर विचार की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में सभी खंड बारी--बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त **"बिहार सिविल न्यायालय विधेयक, 2026"** सदन से स्वीकृत हुआ।

[6] निवेदन :–

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 47 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जायेंगे।

तत्पश्चात् सभा की बैठक बुधवार, दिनांक–25 फरवरी, 2026 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

पटना
दिनांक–24.02.2026

ख्याति सिंह
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।